न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 60/2024
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2024/68

प्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये देवाराम सारण, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर

बनाम

अप्रार्थी
श्री हीराराम पुत्र श्री मांगाराम,जाति–जाट निवासी–अरटवाव,तहसील–गुढामालानी जिला–बाडमेर(राज0)

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से श्री महावीर प्रसाद अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :–08.01.2025

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को एवं प्रयुक्त वाहन को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया हैं।

अप्रार्थी ने जरिऐ अभिभाषक प्रकरण में जबाब प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया हैं कि वाहन नम्बर आर.जे. 19/जी.एफ.6070 का मौका निरीक्षण अप्रार्थी के समक्ष नहीं किया गया। अप्रार्थी ने उक्त वाहन में कोई अवैध पदार्थ भर कर परिवहन व भण्डारण आदि नहीं किया था बल्कि वास्तविक स्थिति यह हैं कि बृजमोहन,राजेन्द्रप्रसाद डीलर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम को, सिन्धीपुरा पीपाड़ शहर की रसीद संख्या 9769 दिनांक 03.03.2024 को उक्त वाहन में 5000लीटर पट्रोलियम पदार्थ रूपये 4,69,450/– की रसीद लेकर वैध परिवहन किया जा रहा था लेकिन थाना गोटन व रसद विभाग वालों ने सरासर गलत कार्यवाही करके व अपना टारगेट पुरा करने के लिए अवैध परिवहन के यह दस्तावेज तैयार अप्रार्थी के विरूद्व यह प्रकरण दर्ज करवाया गया हैं,जो झूठा होने से निरस्त किया जावें।

प्रकरण में एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 06.06.2024 न्यायालय में दिनांक 10.09.2024 को पेश हुई जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में बहस सुनी गई । प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक ने उपस्थित होकर दोराने बहस प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि दिनांक 04.03.2024 को थानाधिकारी पुलिस थाना,गोटन द्वारा जिला रसद अधिकारी, नागौर को दूरभाष पर पुलिस थाना गोटन में डिटेन किये गये ऑयल टैंकर की सूचना दी थी। थानाधिकारी,गोटन से प्राप्त सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी श्री देवाराम सारण, श्री ओमेन्द्रकुमार प्रवर्तन निरीक्षक एवं मेरे द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना, गोटन से प्राप्त तहरीर के आधार पर डिटेन किये गये ऑयल टैंकरवाहन संख्या आर.जे. 19 जी.एफ. 6070 का मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के दौरान ऑयल टैंकर में चार खण्ड पाये गये जिनमें से खण्ड 1, खण्ड 2, खण्ड 3 रिक्त पाये गये। वाहन के खण्ड–4 जिसकी क्षमता 5000 लीटर है,में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का वाहन पर उपलब्ध डीप रोड से मापन करने पर कुल 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। पुलिस थाना, गोटन में डिटेन किये गये वाहन चालक श्री हीराराम पुत्र श्री मांगाराम जाट,निवासी–

कलक्टर नागौर

अरटवाव, तहसील–गुढामालानी,जिला–बाडमेर से पूछताछ कर बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों मे वाहन चालक श्री हीराराम ने बताया कि उसको इस वाहन के अन्य चालक श्री हेमराज ने वाहन में 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरकर ऑयल डिपो सातलावास जोधपुर से गोटन ले जाने को कहा गया। श्री हेमराज द्वारा श्री हीराराम को बताया गया कि इस वाहन में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ को गोटन जिला नागौर मे मोबाईल नम्बर 9001822665 वाले व्यक्ति को कॉल करके खाली करना हैं। श्री हीराराम ने गोटन पहुंचकर लगभग दोपहर 2 बजे जे. के. रोड से मोबाईल नम्बर 9001822665 पर कॉल किया जिस पर मोबाईल धारक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कुछ देर में भेजने हेतु कहा और वही इन्तजार करने के लिए कहा गया। इसी दौराने मौके पर पुलिस टीम पुलिस थाना,गोटन पहुंची और वाहन को पुलिस थाने लाकर डिटेन किया गया। श्री हीराराम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर वाहन संख्या आर.जे. 19 जीएफ 6070 में भण्डारित पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन संख्या आर.जे. 19जीएफ 6070 जिसका प्रयोग पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन करने में किया गया, को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। ऑयल टैंकर से एल्युमिनियम की एक स्वच्छ बाल्टी मे पेट्रोलियम पदार्थ भरकर डेन्सिटी मापी गई जो 24C पर 827.90 मापी गई। एल्युमिनियम की बाल्टी से नमूने हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्युमिनियम के पात्रों को इसी पेट्रोलियम पदार्थ से साफ कर प्रति पात्र 1000 एलएल. पेट्रोलियम पदार्थ भरकर तीनों पात्रों पर आवश्यक सूचनाऐं तथा स्थान, दिनांक, श्रोत इत्यादि चस्पा कर तीनों पात्रों को प्लास्टिक सीलों से सील्ड किया जाकर तीनों नमूनों को मार्का ए–1, ए.–2 व ए.–3 दिया गया। नमूनां क्रमांक ए–1 को प्लास्टिक सील संख्या 326139 से,नमूना कमांक ए.–2 को 326128 व नमूना कमांक ए.–3 को 326165 से सील्ड किया गया। नमूना कमांक ए–1 को वास्ते एफएसएल. जांच व नमूना क्रमांक ए.–3 को कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ में लिये गये। नमूना क्रमांक ए.–2 को श्री हीराराम को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। ऑयल टैंकर वाहन संख्या आर.जे.19 जीएफ 6070 के वाल्व बॉक्स (आन्तरिक) को प्लास्टिक सील संख्या 326136 से व बाहरी बॉक्स को दोनों किनारों पर सील संख्या 326118 व 326121 से सील्ड किया गया। वाहन के खण्ड सं. 4 के मुख्य ढक्कन को प्लास्टिक सील संख्या 326129 से व चारों खण्डो के सैण्ट्रलॉक को प्लास्टिक सील संख्या 326108 से सील्ड किया गया। जब्तसुदा वाहन संख्या आर.जे.19 जीएफ. 6070 मय 5000 लीटर पेट्रेलियम पदार्थ को प्रकरण का निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु प्रभारी मालखाना पुलिस थाना,गोटन को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये हैं। इस प्रकार श्री हीराराम का यह कृत्य Motor Spirit & High Speed Diesel (Regulation of Supply,Distribution and Prevention of Mal- practices) Order 2005 का स्पष्ट उल्लघंन हैं, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे जब्तसुदा 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन संख्या आर.जे. 19 जीएफ 6070 को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान किये जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने दोराने बहस जबाब प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे यह कथन किया कि वाहन नम्बर आर.जे. 19/जी.एफ.6070 का मौका निरीक्षण अप्रार्थी के समक्ष नहीं किया गया। अप्रार्थी ने उक्त वाहन में कोई अवैध पदार्थ भर कर परिवहन व भण्डारण आदि नहीं किया था बल्कि वास्तविक स्थिति यह हैं कि बृजमोहन,राजेन्द्रप्रसाद डीलर हिन्दुस्तान

न्यायालय जिला कलक्टर
नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

पेट्रोलियम को, सिन्धीपुरा पीपाड़ शहर की रसीद संख्या 9769 दिनांक 03.03.2024 को उक्त वाहन में 5000 लीटर पट्रोलियम पदार्थ रूपये 4,69,450 / –की रसीद लेकर वैध परिवहन किया जा रहा था लेकिन थानाधिकारी,गोटन व रसद विभाग के अधिकारियों ने यह सरासर गलत कार्यवाही कर हमारा वैध डीजल एवं वाहन को जब्त किया गया हैं। हमारे द्वारा मौके पर थानाधिकारी एवं रसद विभाग के अधिकारियों को रसीद की प्रति भी उपलब्ध करवाये जाने के बावजूद इस प्रकार की यह झूठी कार्यवाही की जाकर यह गलत परिवाद हमारे विरूद्व माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं। जब्त सुदा वाहन पुलिस थाने में पड़ा–पड़ा खराब हो रहा तथा उसमें भरा वैध पेट्रोलियम पदार्थ गंतव्य स्थान तक नहीं पहूँच पाने से हमें भारी क्षति हो रही हैं। इसलिए निवेदन हैं कि जब्त सुदा 5000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं हमारा वाहन संख्या आर.जे. 19 / जी.एफ.6070 हमें पुनः सुपुर्द किया जावें। तथा रसद विभाग द्वारा प्रस्तुत यह परिवाद खारिज फरमाया जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत विधि विज्ञान प्रयोगशाला,जोधपुर की रिपोर्ट कमांक RFSL(JOD)/1615/CAE/13/24 Date 06-06-2024 के अनुसार जब्त सुदा पेट्रोलिय पदार्थ Diesel(IS 1460) हैं,जिसके भण्डारण,परिवहन व विकय हेतु वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक हैं। दौराने जांच मौका पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई हैं। जिससे प्रकरण में रसद विभाग द्वारा मौके पर की गई उक्त कार्यवाही सही होना प्रतीत होती हैं तथा प्रस्तुत प्रकरण स्वीकार योग्य हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रसद मामला प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जब्तसुदा 5000(पांच हजार) लीटर डीजल पेट्रोलियम पदार्थ मय वाहन संख्या आर.जे.19 जीएफ 6070 को सम्पहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता हैं। प्रकरण में जब्त सुदा वाहन संख्या आर.जे. 19 जीएफ 6070 के सम्पहरण के विकल्प में अप्रार्थी संख्या 1 पर 1,00,000 / –(अक्षरे एक लाख रूपये) का जुर्माना अधिरोपित किया जाता हैं। जब्त सुदा वाहन के मालिक द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 45 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तशुदा वाहन ऑयल टैंकर को मुक्त करने का आदेश दिया जाता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 या फिर वाहन के मालिक द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर उक्त जब्तसुदा वाहन ऑयल टैंकर संख्या आर.जे.19 जीएफ 6070 को नियमानुसार नीलामी करने का आदेश दिया जाता हैं एवं नीलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाते हुवें यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि इस निर्णय से जब्तसुदा वाहन ऑयल टैंकर संख्या आर.जे.19 जीएफ 6070 के मालिक को वाहन कार्यवाही के सम्बन्ध में अपने स्तर से सूचित किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर
नागौर (राजस्थान)

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर